रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1235] नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2014/ज्येष्ठ 19, 1936
No. 1235] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2014/JYAISTHA 19, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2014

का.आ. 1486(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उप-धारा (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय की भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 444(अ), तारीख 12 जून, 1989 में, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् —

उक्त अधिसूचना की सारणी में, तेलंगाना राज्य से संबंधित क्रम सं. 29क के सामने, स्तंभ (2) में प्रविष्टि "टीजी" के स्थान पर प्रविष्टि "टीएस" रखी जाएगी ।

[फा. सं. आर. टी-11028/05/2014-एम.वी.एल.]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 444(अ), तारीख 12 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1324(अ), तारीख 19 मई, 2014 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2014

S.O. 1486(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (6) of Section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the then Ministry of Surface Transport published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 444(E), dated the 12th June, 1989, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:—

In the Table to the said notification, against serial No. 29A, relating to the State of Telengana, in column (2), for the entry "TG", the entry "TS" shall be substituted.

[F. No. RT-11028/05/2014-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published in the Gazette of India, *vide* S.O. 444(E), dated the 12th June, 1989 and was last amended *vide* S.O.1324(E), dated the 19th May, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.